

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 155 / 2024 / सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक, कार्यालय-1 12 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन 1, टोल्सटोय मार्ग, न्यू दिल्ली

प्रार्थी

- बनाम
1. मैसर्स नव्या फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड, सोनियारा रोड, हमीरगढ, भीलवाडा, राजस्थान 3111001 निदेशक- नरेशचन्द्र बाल्दी पुत्र श्री मदनलाल बाल्दी, 175, वकील कोलोनी, भीलवाडा, राजस्थान
 2. मदन लाल बाल्दी पुत्र श्री मथुरा लाल बाल्दी, 2-बी, गीतांजली पंचवटी कोलोनी, चित्तौडगढ, राजस्थान 312001
 3. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी, 175, वकील कोलोनी, भीलवाडा, राजस्थान 312001
 4. आरती पत्नी श्री प्रशान्त न्याती, 9, भट्ट जी की बाडी, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के पास, गिर्वा, उदयपुर राजस्थान 313001
 5. शैलेन्द्र झंवर पुत्र श्री सत्यनारायण झंवर, वैद्यनाथ जी की हवेली, सैंथी, बापु बाजार, चित्तौडगढ, राजस्थान 312001
 6. रेणु झंवर पत्नी श्री शैलेन्द्र झंवर, वैद्यनाथ जी की हवेली, सैंथी, बापु बाजार, चित्तौडगढ, राजस्थान 312001
 7. शेरू भण्डारी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी, वार्ड न. 19, नैहरू बाल उद्यान के पीछे, फतहनगर, मावली, उदयपुर, राजस्थान
 8. रिकु भण्डारी पुत्र श्री रामेश्वर लाल भण्डारी, वार्ड न. 19, नैहरू बाल उद्यान के पीछे, फतहनगर, मावली, उदयपुर, राजस्थान
 9. अनिल कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल समदानी, पुराने मार्केट के पास, फतहनगर, मावली, उदयपुर राजस्थान 303205

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 02-12-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगणको राशि 2105.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद:-

1. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1050 मीन जो मिशनरी स्कूल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 28148.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1247/1048 पश्चिम में आराजी न. 1248/1050

जिला कलक्टर
उदयपुर

- दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1245/1050 मीन जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 23532.12 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल पुत्र कालुलाल जैन दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन आरती न्याती, पूर्व में आराजी न. 1246/1050 उर्मिला न्याती पश्चिम में आराजी न. 1244/1050 नरेशचन्द्र बाल्दी
3. नरेशचन्द्र बाल्दी पुत्र री मदन लाल बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1244/1050 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 14816.52 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1245/1050 पश्चिम में रास्ता।
4. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1246/1050 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2187 वर्गमीटर है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1050 पश्चिम में आराजी न. 1245/1050
5. रिकु मण्डारी पुत्र श्री रामेश्वर लाल मण्डारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1242/925 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1241/925 सीता मण्डारी, दक्षिण में आराजी न. 1243/925 मीन, पूर्व में बिलानाम रास्ता पश्चिम में आराजी न. 926 गजेसिंह राजपूत।
6. शेरू मण्डारी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मण्डारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1239/925 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1066, दक्षिण में आराजी न. 1240/925, पूर्व में बिलानाम रास्ता एवं आराजी न. 1067 पश्चिम में आराजी न. 926 गजेसिंह राजपूत।
7. अनिल कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल समदानी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1243/925 एवं 924 जो उदयपुर-चितौड़ रोड के पास, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में रोड, दक्षिण में अन्य आराजी, पूर्व में रोड। पश्चिम में स्वयं का प्लॉट। को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 02.06.2024 तक 20,27,87,991.84/-रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 2105.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 02.06.2024 तक 20,27,87,991.84/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।



M
जिला कलेक्टर
उदयपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद:-

1. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1050 मीन जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1247/1048 पश्चिम में आराजी न. 1246/1050
2. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1245/1050 मीन जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 23532.12 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल पुत्र कालुलाल जैन दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन आरती न्याती, पूर्व में आराजी न. 1246/1050 उर्मिला न्याती पश्चिम में आराजी न. 1244/1050 नरेशचन्द्र बाल्दी
3. नरेशचन्द्र बाल्दी पुत्र री मदन लाल बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1244/1050 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 14816.52 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1245/1050 पश्चिम में रास्ता।
4. दीपाली बाल्दी पत्नी श्री नरेशचन्द्र बाल्दी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1246/1050 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2187 वर्गमीटर है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1055 श्री हीरालाल जी, दक्षिण में आराजी न. 1048 मीन, पूर्व में आराजी न. 1050 पश्चिम में आराजी न. 1245/1050
5. रिकु मण्डारी पुत्र श्री रामेश्वर लाल मण्डारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1242/925 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1241/925 सीता मण्डारी, दक्षिण में आराजी न. 1243/925 मीन, पूर्व में बिलानाम रास्ता पश्चिम में आराजी न. 926 गजेसिंह राजपूत।
6. शेरू मण्डारी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मण्डारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1239/925 जो मिशनरी स्कुल के सामने, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में आराजी न. 1066, दक्षिण में आराजी न. 1240/925, पूर्व में बिलानाम रास्ता एवं आराजी न. 1067 पश्चिम में आराजी न. 926 गजेसिंह राजपूत।
7. अनिल कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल समदानी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति आराजी न. 1243/925 एवं 924 जो उदयपुर-चितौड़ रोड के पास, गांव वागरोदा, ग्राम पचायत भीमल, तहसील मावली, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 26146.80 वर्गफीट है, सीमाए:- उत्तर में रोड, दक्षिण में अन्य आराजी, पूर्व में रोड। पश्चिम में स्वयं का प्लॉट। का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर